राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 239 / 2024

आशा लता

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (जनस्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक राजस्थान स्वा. वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय खेतडी झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के पी.जी. पूर्ण करने के पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.08.2023 के द्वारा उप जिला चिकित्सालय, खेतड़ी जिला झुंझुनू में पदस्थापित किया गया था, जिस आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2042 / 2023 में चुनौती दी थी। उक्त अपील में अधिकरण द्वारा दिनांक 21.08.2023 को यह आदेश पारित किया गया था कि अपीलार्थी अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा और अभ्यावेदन के निस्तारण तक आदेश दिनांक 14.08.2023 की क्रियान्विति अपीलार्थी के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण के उक्त आदेश के पश्चात अपीलार्थी को पुनः उसी स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं कराया गया, जहां पी.जी. के दौरान कार्यरत था। अपीलार्थी के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए अपीलार्थी को निर्देश दिये गये कि वह नवीन पदस्थापन स्थान पर अविलम्ब कार्य ग्रहण करे। जिस आदेश को पुनः अपीलार्थी ने अपील संख्या–134 / 2024 के जरिये अधिकरण में चुनौती दी थी। इस अधिकरण ने दिनांक 05.02.2024 को यह आदेश पारित किया कि

अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर पुनः विचार किया जाए और आख्यात्मक आदेश पारित करे। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आख्यात्मक आदेश जारी होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे, जिस स्थान पर वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि दिनांक 05.02.2024 को ही प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी का चयन एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेजिडेंट के रूप में किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के उक्त आदेश दिनांक 05.06.2024 की पालना में अपीलार्थी को सीनियर रेजिडेंट के पद पर एक वर्ष के लिये कार्य करना है, परन्तु अपीलार्थी को चूंकि अभी तक प्रत्यर्थी विभाग ने पूर्व के स्थान पर अधिकरण के आदेश के बावजूद भी कार्य ग्रहण नहीं कराया है, इस कारण से भी अपीलार्थी सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्य करने के लिये कार्य मुक्त नहीं हो पा रहा है।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. उपरोक्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर अपीलार्थी को इस अधिकरण के पूर्व के आदेश दिनांक 05.02.2024 की पालना में अविलम्ब कार्य ग्रहण करवायें और इसके पश्चात प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 की पालना हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)